

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	बीज ग्राम
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	1- योजना प्रत्येक विकास खण्ड से 15 ग्रामों में से 17 से 18 कृषक प्रति ग्राम जिसमें 23% एस0सी0 77% सामान्य कृषक कुल चयनित कृषकों में 20% महिला कृषक का चयन। 2- उत्पादन में गेहूँ बीज पर बीज मूल्य का 50% अनुदान प्रस्तावित है तथा 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश प्रतिपूर्ति 3- विकास खण्ड स्तर पर 150 कृषकों के बैच को एक दिवसीय तीन प्रशिक्षण।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स0वि0अ0कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाइट	<a href="http://upagriculture.com/">http://upagriculture.com/</a>
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।